हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

बारहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 123

शुक्रवार, 26 अगस्त, 2016/4 भाद्रपद, 1938(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समय : 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

1. **प्रश्नोत्तरः**

(i) **तारांकित प्रश्नः**

स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या 2775, 3192, 3231, 3278 तथा तारांकित प्रश्न संख्या 3420 के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा सम्बन्धित मन्त्रियों द्वारा उनके उत्तर दिए गए। सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या 3264 तथा तारांकित प्रश्न संख्या 3419 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए। तारांकित प्रश्न संख्या 3421 से 3463 तक के उत्तर सम्बन्धित मन्त्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(ii) **अतारांकित प्रश्नः**

अतारांकित प्रश्न संख्या 1428 से 1442 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए ।

12.00 PM

2. कागज़ात सभा पटल परः

(1) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) जल (प्रदूषण का निवारण एवं नियन्त्रण), अधिनियम, 1974 की धारा (2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16; और

(ii) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (डी0पी0सी0) अधिनियम, 1971 की धारा 19(ए) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित का 43वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-15.

(2) **श्री सुजान सिंह पठानिया, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी :-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग, निदेशक, कृषि, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याः एग्र0ए0-ए(3)-2/2014 दिनांक 27.05.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 01.06.2016 को प्रकाशित;

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग,सहायक निदेशक (विधि), वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याः एग्र0ए0-बी(2)-6/2014 दिनांक 19.07.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.07.2016 को प्रकाशित;

(iii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग, अधीक्षक ग्रेड-I, वर्ग-I (राजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याः एग्र0ए0(3)-4/2005 दिनांक 20.07.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.07.2016 को प्रकाशित; और

(iv) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-15।

3. <u>सदन की समितियों के प्रतिवेदनः</u>

(1) **श्री अजय महाजन, सदस्य, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2016-17)** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का **146वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 (राज्य के वित्त) पर आधारित है तथा **पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का **147वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 (राज्य के वित्त/सिविल) पर आधारित है तथा **पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग** से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति का **148वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 47वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित है तथा **राजस्व विभाग** से सम्बन्धित है।

(2) **श्री कुलदीप कुमार, सभापति, प्राक्कलन समिति (वर्ष 2016-17)** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का **22वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा)(वर्ष 2012-13) जोकि समिति के 41वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित है तथा **विद्युत विभाग** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति के **23वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा)(वर्ष 2011-12) अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 35वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा)(वर्ष 2011-12) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **विद्युत विभाग** से सम्बन्धित है।

(3) **श्री संजय रतन, सदस्य, लोक उपक्रम समिति (वर्ष 2016-17)** ने समिति का **59वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 32वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित है तथा **हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

(4) **श्री मोहन लाल ब्राक्टा, सदस्य, कल्याण समिति (वर्ष 2016-17)** ने समिति का **28वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 21वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा)(वर्ष 2015-16) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित है तथा **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

(5) **श्री सुरेश भारद्वाज, सभापति, सामान्य विकास समिति (वर्ष 2016-17)** ने समिति का **18वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि **सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग** द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं/कार्यों की संवीक्षा पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

12.10 PM

4. विधायी कार्यः-

(I) सरकारी विधेयक की पुरःस्थापना

(i) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 15) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 15) पुरःस्थापित हुआ।

(ii) **श्री कौल सिंह ठाकुर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश में खुली सिगरेटों और बीड़ियों के विक्रय का प्रतिषेध और सिगरेटों तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के खुदरा कारबार का विनियमन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 18) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश में खुली सिगरेटों और बीड़ियों के विक्रय का प्रतिषेध और सिगरेटों तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के खुदरा कारबार का विनियमन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 18) पुरःस्थापित हुआ।

(iii) **श्री कौल सिंह ठाकुर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि औषधि और प्रसाधन सामग्री (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 20) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

औषधि और प्रसाधन सामग्री (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 20) पुरःस्थापित हुआ।

(iv) **श्री सुधीर शर्मा, शहरी विकास मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 16) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 16) पुरःस्थापित हुआ।

(v) **श्री सुधीर शर्मा, शहरी विकास मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 17) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 17) पुरःस्थापित हुआ।

<u>12.30 PM</u>

5. <u>गैर-सरकारी सदस्य कार्यः-</u>

"संकल्प"

निम्न प्रस्ताव जो दिनांक 06.04.2016 को सदन में प्रस्तुत किया जा चुका है पर श्री गुलाब सिंह ठाकुर ने आगे चर्चा की :-

> "यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में एक ही समुदाय व व्यवसाय से जुड़े तरखान जाति (OBC) को लोहार जाति की तर्ज पर अनुसूचित जाति (SC) में सम्मलित करने हेतु प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा जाए।"

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लियाः-

1) श्री कुलदीप कुमार
2) श्री ईश्वर दास धीमान
3) श्री मनोहर धीमान

माननीय मुख्य मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

पहला संकल्पः

1. **श्री महेन्द्र सिंह** ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया एवं चर्चा कीः-

> "यह सदन सरकार से मांग करता है कि प्रदेश में जंगली जानवरों/आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या से किसानों की फसलों को हो रहे नुकसान की रोकथाम के लिए एक वृहद योजना बना कर वित्तीय सहायता हेतु केन्द्र सरकार को भेजी जाए।"

(अपराह्न 1.00 बजे सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक स्थगित हुई)

(अपराह्न 2.00 बजे सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लियाः-

1) श्री कुलदीप कुमार
2) प्रो0 प्रेम कुमार धूमल, नेता प्रतिपक्ष
3) श्री जगजीवन पॉल, मुख्य संसदीय सचिव
4) श्री महेश्वर सिंह
5) श्री सोहन लाल, मुख्य संसदीय सचिव
6) श्री इन्द्र सिंह
7) श्री राम कुमार
8) श्री सुरेश कुमार

माननीय मुख्य मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(अपराह्न 4.50 बजे सदन की बैठक शनिवार, दिनांक 27 अगस्त, 2016 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक स्थगित हुई)